



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022023-243584
CG-DL-E-14022023-243584

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 13, 2023/माघ 24, 1944

No. 619]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 13, 2023/MAGHA 24, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2023

का.आ. 648(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4502(अ) तारीख 19.10.2022 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 23.10.2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में गुवाहाटी - शिलांग - सिलचर - पानीसागर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरान्त निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : कछार		राज्य : असम				
सर्कल	तहसील	गाँव//मौज़ा	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेटर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
कटिगोराह	कटिगोराह	नतनपुर ग्रांट	63	00	05	22
			64	00	00	25
			65	00	02	42
			119	00	04	14
कटिगोराह	कटिगोराह	काराबल्ले ग्रांट	6	00	03	31
			3	00	00	10
			1	00	27	00
कटिगोराह	कटिगोराह	पीरनगर	27	00	00	30
			28	00	00	68
			29	00	06	63
			155	00	02	72
			62	00	02	41
			74	00	03	97
			75	00	01	73

			90	00	04	45
कटिगोराह	कटिगोराह	महादेवपुर भाग-I	149	00	09	28
			172	00	00	77
			171	00	00	97
			170	00	00	42
कटिगोराह	कटिगोराह	सरसपुर	322	00	01	07
			318	00	02	17
कटिगोराह	कटिगोराह	खेलमा भाग- II	99	00	01	32
कटिगोराह	कटिगोराह	खेलमा भाग- IV	21	00	08	66
			20	00	38	14
कटिगोराह	कटिगोराह	सईदपुर भाग- III	1	00	06	98
कटिगोराह	कटिगोराह	तेली टिकर भाग- II	395	00	13	98
			27	00	23	81

[फा. सं. एल -14014/194/2022- जीपी-II (ई-44426)]

राकेश मिश्रा, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th February, 2023

S.O. 648(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No. 4502(E) dated the 19.10.2022, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 23.10.2022, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Guwahati - Shillong - Silchar - Panisagar Section of North - East Natural Gas Pipeline in the state of Assam by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE						
District:- Cachar				State :- Assam		
Circle	Tahsil	Name of the Village/ Mouza	Survey No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6	7
Katigorah	Katigorah	Natanpur Grant	63	00	05	22
			64	00	00	25
			65	00	02	42
			119	00	04	14
Katigorah	Katigorah	Karaballe Grant	6	00	03	31
			3	00	00	10
			1	00	27	00
Katigorah	Katigorah	Pirnagar	27	00	00	30
			28	00	00	68
			29	00	06	63
			155	00	02	72
			62	00	02	41
			74	00	03	97
			75	00	01	73
Katigorah	Katigorah	Mahadevpur Pt.I	90	00	04	45
			149	00	09	28
			172	00	00	77
			171	00	00	97

			170	00	00	42
Katigorah	Katigorah	Saraspur	322	00	01	07
			318	00	02	17
Katigorah	Katigorah	Khelma Pt.II	99	00	01	32
Katigorah	Katigorah	Khelma Pt.IV	21	00	08	66
			20	00	38	14
Katigorah	Katigorah	Saidpur Pt.III	1	00	06	98
Katigorah	Katigorah	Teli Tikar Pt.II	395	00	13	98
			27	00	23	81

[F. No. L-14014/194/2022-GP-II (E-44426)]

RAKESH MISHRA, Deputy Secy.